मुख्य मंत्री

श्री मुलायम सिंह यादव

का

2003-2004 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों पर मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2003-2004 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मान्यवर, यह आपकी जानकारी में है कि हमने किन परिस्थितियों में सरकार बनायी है । प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी, जनता का विश्वास उठ रहा था तथा जनप्रतिनिधि अपने आपको असहाय महसूस कर रहे थे । अधिकारीवर्ग दिशाहीन और निष्ठाविहीन हो कर प्रशासन पर अपनी पकड़ खोता जा रहा था ।

मान्यवर, अत्यन्त चिन्तनीय स्थिति में मैं यह बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ । सामाजिक रूप से विघटित, प्रशासनिक रूप से निष्क्रिय एवं आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर ढाँचे को सुधारने का दायित्व हमें सम्भालना पड़ा है ।

लगभग 16 महीनों तक इस प्रदेश की जनता ने प्रदेश में प्रजातंत्र पर कुठाराघात का दुखदायी नजारा देखा है । चुन-चुन करके उन सभी लोकतांत्रिक गतिविधियों को कुचलने का प्रयास किया गया जिनके द्वारा निरंकुश शासन के विरूद्ध आवाज उठाने का साहस किया गया । प्रजातांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण तरीके से अपने विरोध को प्रदर्शित करने पर अंकुश लगाने का असफल प्रयास किया गया । सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों को इस प्रकार से क्रियान्वित किया गया कि समाज जुड़ने के बजाय कई टुकड़ों में बंटता चला गया । सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाने के बजाय समाज के विभिन्न वर्गों में एक-दूसरे के प्रति घृणा एवं द्वेष का भाव पैदा किया गया । ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों को इस प्रकार से लागू किया गया कि समाज का एक वर्ग अपने को उपेक्षित एवं अपमानित महसूस करे ।

शासकीय धन के दुरूपयोग के पूर्व के सभी कीर्तिमान तोड़ दिये गये और इसका उपयोग इस प्रकार से किया गया, जैसे कि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा न होकर किसी की निजी सम्पत्ति हो । भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान छेड़ने की बात तो दूर रही,

प्रशासन के समस्त क्रियाकलाप भ्रष्टाचार की चपेट में आ गये । प्रशासकीय अधिकारियों का मनोबल कुचल दिया गया और उनसे इस प्रकार से व्यवहार किया गया कि मानों वह किसी विधिक व्यवस्था के अंग न होकर निजी सेवक हों ।

आज हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, वह अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण हैं । हमें न केवल सामाजिक सद्भाव को बनाये रखना है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित कर पुनर्स्थापित भी करना है ।

मान्यवर, विगत ढाई महीनों में राज्य के समस्त वर्गों ने यह महसूस किया है कि हमारी सरकार दमनकारी एवं निरंकुश प्रशासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं कानून के राज में विश्वास रखती है और यह बिल्कुल खुली हुई सरकार है; जिसमें पारदर्शिता है, संवेदनशीलता है और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता है ।

मान्यवर, हमारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाना है । हमें एक ऐसा सम्पन्न एवं शक्तिशाली प्रदेश बनाना है जिसमें सभी वर्गों

एवं समुदायों को उनका हक एवं आवश्यक सुविधायें प्राप्त हों, जाति एवं धर्म के आधार पर समाज न बंटा हो बल्कि समाज के सभी वर्गों के बीच घृणा और द्वेष के स्थान पर स्नेह एवं सम्मान का भाव हो । हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे प्रदेश में आतंकवादी एवं दमनकारी शक्तियों का विनाश हो एवं कानून का राज हो । विकास की गति त्वरित एवं निर्बाध हो जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो । हमारा लक्ष्य गरीब एवं असहाय लोगों के मात्र आँसू पोछने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कराहट लाना भी है । हमें प्रशासनिक एवं आर्थिक ढाँचे को फिर से सुदृढ़ करना है और ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रशासनिक मनोबल वापस आये, प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोत्तरी हो और प्रदेश की वित्तीय स्थिति में ऐसा सुधार हो कि प्रदेश के विकास में वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता रोड़ा न बने ।

मान्यवर, हमारी मान्यता है कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक हैं । प्रदेश का औद्योगीकरण, कृषि के विकास के बिना सम्भव नहीं है । वहीं दूसरी ओर यदि औद्योगीकरण में अपेक्षित गति नहीं आती

है तो कृषि का विकास भी अवरूद्ध हो जायेगा । प्रगतिशील और उन्नत कृषि अब उद्योग का दर्जा ले रही है। जहाँ एक ओर कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद भी हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपये की धनराशि गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी है, वहीं दूसरी ओर मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुये अपार हर्ष हो रहा है कि प्रदेश के त्वरित औद्योगीकरण एवं अधिक से अधिक पूंजी निवेश हेतु विशेष प्रयास करने के लिये "उत्तर प्रदेश विकास परिषद" का गठन किया गया है । यह परिषद न केवल प्रदेश में निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार करने में सरकार की सहायता करेगी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि सुधारने में भी सहयोग देगी ।

मुझे यह कहते हुये गर्व हो रहा है कि प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब उद्योग, मीडिया, वित्तीय व्यवस्था एवं सिनेमा जगत की महान हस्तियाँ प्रदेश के विकास की गति बढ़ाने के लिये आगे आयी हैं । हमारी सरकार का विश्वास है कि प्रदेश के त्वरित औद्योगीकरण एवं निजी पूंजी निवेश से रोजगार के अतिरिक्त अवसर हमारे नौजवानों को प्राप्त

हो सकेंगे । उत्तर प्रदेश विकास परिषद के द्वारा जिस तत्परता, निष्ठा एवं परिश्रम से अपना कार्य सम्पादित किया जा रहा है उसके लिये परिषद धन्यवाद की पात्र है ।

मान्यवर, इस भगीरथ प्रयास में हमारी सरकार को माननीय सदन के भरपूर सहयोग एवं योगदान की आकांक्षा है । मुझे विश्वास है कि हमारी आकांक्षा के अनुरूप सदन के सभी माननीय सदस्य और उनके माध्यम से राज्य के समस्त वर्गों के लोग हमारे प्रयास में हमारी सहायता कन्धे से कन्धा मिलाकर करेंगे, जिससे कि प्रदेश के विकास में आ रही सारी बाधायें दूर हो सकेंगी ।

मान्यवर, आपको विदित है कि पिछली सरकार ने दिनांक 04 मार्च, 2003 को अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तीय वर्ष 2003-2004 के प्रथम छः माह हेतु लेखानुदान प्राप्त किया था । तत्पश्चात हमारी सरकार ने दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को पुनः अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया तथा माह अक्टूबर, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक की अवधि के लिये लेखानुदान प्राप्त किया । अतः प्रस्तुत बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष तीन माहों की सीमित अवधि को देखते हुये ही बजट प्रस्ताव

सम्मिलित किये गये हैं । इस बजट में नई मांगों को सम्मिलित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को वरीयता प्रदान करते हुये संसाधनों का आवंटन किया जाय । नई मांगों का लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के लिए है ।

माननीय अध्यक्ष जी,

वर्तमान वित्तीय वर्ष का अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि हमारी सरकार द्वारा कृषि, सिंचाई, उद्योग-व्यापार, विद्युत, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसरों के सृजन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । मैंने यह भी कहा था कि सरकारी फिजूल-खर्ची पर रोक लगाकर एवं समस्त संसाधनों को मितव्ययितापूर्वक एकजुट करके समाज के सभी वर्गों के उत्थान का प्रयास किया जायेगा जिसमें समाज के पिछड़े व निर्बल वर्ग विशेष केन्द्र बिन्दु होंगे ।

सर्वकल्याण की इसी विचारधारा के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही जनकल्याण सम्बन्धी कई कदम उठाये गये और

कई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं, जिनका उल्लेख मैं आगे करूँगा ।

अब मैं राज्य सरकार की कतिपय प्राथमिकताओं, उपलब्धियों एवं नये कार्यक्रमों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राथमिकतायें, उपलब्धियाँ एवं नये कार्यक्रम

- प्रदेश में शान्ति व्यवस्था तथा सर्वांगीण विकास का वातावरण तैयार करना ।

  महोदय, आप अवगत हैं कि शिव सेना एवं विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2003 तथा 17 अक्टूबर, 2003 को अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में दर्शन एवं संकल्प हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये थे । अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि / बाबरी मस्जिद परिसर की यथा-स्थिति बनाये रखने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये हैं । उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा परिसर की यथास्थिति बनाये रखने तथा कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाये गये, जिससे राज्य सरकार द्वारा धर्म निरपेक्ष

मूल्यों को बनाये रखते हुये इस अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने में सफलता प्राप्त की गयी । इसमें प्रदेश सरकार को भारत सरकार, मीडिया, माननीय सदस्यों एवं जनता के सभी वर्गों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है इसके लिये मैं इन सबका आभारी हूँ एवं सभी को बधाई देता हूँ ।

- विकास कार्यक्रमों का लाभ समाज के दुर्बल वर्ग को उपलब्ध कराना ।

- प्रदेश में विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं विशेषकर सड़क, बिजली तथा सिंचाई का विकास ।

  - विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से *"त्वरित आर्थिक विकास योजना"* प्रारम्भ की जा रही है । इस योजना में सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, सिंचाई आदि क्षेत्रों की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
  - ग्रामीण एवं तहसील क्षेत्रों में 14 घण्टे बिजली की आपूर्ति कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

- महोदय, यह वर्ष आदरणीय चौधरी चरण सिंह का जन्म शताब्दी वर्ष है । उनके सम्मान में किसान भाईयों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहर प्रणालियों से बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु *"चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना"* प्रारम्भ की जा रही है ।

- ग्राम्य विकास हेतु कृषि तथा किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य उपलब्ध कराया जाना ।

  - गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलों को निजी क्षेत्र में पट्टे पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है । इससे प्रदेश में गन्ना पेराई की क्षमता में वृद्धि होगी ।
  - 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों / किसानों को वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत रुपये 125 प्रतिमाह पेंशन में वृद्धि करके रुपये 150 प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत 12.62 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन में सुधार के लिये ग्रामीण स्वच्छता, आवासों में शौचालयों की व्यवस्था ।

- मानव संसाधन विकास हेतु महिलाओं, अल्पसंख्यकों सहित समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना ।

  - बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से *"कन्या विद्या धन"* नामक योजना प्रारम्भ की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों से कक्षा - 8 उत्तीर्ण औसतन 1500 छात्राओं का चयन किया जायेगा । इन छात्राओं में से कक्षा-12 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप 20,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त दी जायेगी । इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का व्यय अनुमानित है ।
  - उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिए शासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों / विद्यालयों में छात्रों की बढ़ी हुई फीस कम की गयी है । राज्य विश्वविद्यालयों

में भी बढ़ी हुई फीस कम करने का निर्णय लिया गया है ।

- अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए आवासीय कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोएडा में वोकेशनल एवं प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किया जायेगा । इस हेतु बजट में 1.11 करोड़ रुपये का प्राविधान है ।
- समाज के निर्धन वर्ग को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों में बाह्यरोगियों के पर्चे का मूल्य घटाकर एक रूपया कर दिया गया तथा अन्तरंग रोगियों को निःशुल्क शैय्या उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया । इसके साथ-साथ औषधियों के लिये 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है ।

• कुशल, संवेदनशील एवं मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक प्रशासनतंत्र ।

महोदय, जिस समय हमारी सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया, उस समय प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित था ।

अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्य को हमारी सरकार द्वारा विशेष प्राथमिकता दी गई । बाढ़ राहत कार्यों के लिये लगभग 40 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया गया । किसानों से सरकारी देयों की वसूली पर रोक लगाई गई । प्रदेश भर में 1576 राहत केन्द्रों की स्थापना की गई तथा बाढ़ क्षेत्रों में चिकित्सक दलों एवं डाक्टरों की विशेष तैनाती की गई । राहत कार्यों से प्रदेश बाढ़ की स्थिति से अतिशीघ्र उबर सका तथा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासन का कार्य त्वरित गति से किया जा सका ।

- कठोर वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय सुधार ।
  - हमारा यह प्रयास है कि फिजूलखर्ची पर रोक लगे तथा अनुत्पादक व्यय में कटौती की जाय ।
  - प्रदेश की वित्तीय स्थिति, जिसका उल्लेख मैं आगे और विस्तार से करूँगा, को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में कठोर वित्तीय अनुशासन लागू किया जायेगा । इस प्रयोजन हेतु *"उत्तर प्रदेश वित्तीय उत्तरदायिता एंव बजट प्रबन्धन"* विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

इस सम्मानित सदन को यह जान कर हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश उन कतिपय राज्यों में से एक होगा जिन्होंने भारत सरकार के साथ-साथ इस प्रकार का सकारात्मक कदम उठाने की पहल की है ।

- राज्य सरकार द्वारा मंत्रि परिषद् की एक संसाधन उप समिति का गठन किया गया है । यह उप समिति प्रदेश में राजस्व संवर्द्धन हेतु आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देगी ।

मान्यवर, विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करने से पूर्व मैं इस सरकार को विरासत में मिली प्रदेश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करना चाहूँगा ।

आर्थिक परिदृश्य

आप अवगत हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न मानदण्डों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है । वर्ष 1999-2000 के आँकड़ों के आधार पर राज्य में 31 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी

की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे थे जो देश के औसत 26 प्रतिशत से अधिक है ।

देश के क्षेत्रफल में 7 प्रतिशत तथा जनसंख्या में 16 प्रतिशत अंश वाले इस प्रदेश का राष्ट्रीय आय में योगदान वर्ष 2001-2002 में केवल 9 प्रतिशत रहा ।

वित्तीय स्थिति

यदि हम पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों पर ध्यान दें तो यह स्पष्टतया दिखाई पड़ता है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के अनुपातों में लगातार वृद्धि हो रही है । राजस्व घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 3.5 प्रतिशत था जो वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों में 4.1 प्रतिशत है । इसी प्रकार राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात इसी अवधि में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया है । राज्य की ऋणग्रस्तता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 40 प्रतिशत (2000-2001) से बढ़कर 48 प्रतिशत (2002-2003) हो गयी है । यह आँकड़े राज्य

की वित्तीय स्थिति में आ रही गिरावट एवं गम्भीर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं ।

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 88 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर भुगतान में व्यय हो रहा है । इन मदों पर सम्मिलित व्यय राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का 165 प्रतिशत से 185 प्रतिशत के मध्य है और कुल राजस्व व्यय का लगभग 70 प्रतिशत है । इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि राज्य का स्वयं का राजस्व वेतन, पेंशन तथा ब्याज जैसे वचनबद्ध व्ययों को ही पूर्ण करने के लिये अपर्याप्त है ।

राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है। यह अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि ऋण का एक बड़ा भाग राजस्व व्यय के लिये व्यावर्तित हो रहा है जब कि आदर्श स्थितियों में ऋण का अधिकतम उपयोग पूँजी निर्माण के लिये होना चाहिये ।

एक अत्यन्त चिन्ताजनक एवं गम्भीर स्थिति यह उभरकर आ रही है कि वर्ष के दौरान प्राप्त कुल लोक ऋण से पुराने ऋण की देयताओं को भी नहीं चुकाया जा सकता है । इसी प्रकार ब्याज की मद में वृद्धि की दर,

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर से अधिक है । यह दोनों ही स्थितियाँ इस बात की द्योतक हैं कि राज्य ऋण के भंवर जाल में फंस चुका है ।

उपरोक्त संकेतक यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति वर्तमान में गम्भीर रूप से असंतुलित है । अतः हमें जहाँ एक ओर संसाधनों में वृद्धि करनी होगी वहीं दूसरी ओर अपने राजस्व व्यय, विशेषकर अनुत्पादक व्यय में कमी करनी होगी । इस सम्बन्ध में कुछ पहल की गई है परन्तु इस दिशा में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके लिये मैं सम्मानित सदन के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ ।

वार्षिक योजना (2003-2004)

प्रदेश की वार्षिक योजना, 2003-2004 के लिए योजना आयोग की सहमति से कोर प्लान के रूप में 7728 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इस वार्षिक योजना में ग्रामीण क्षेत्र, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है ।

ग्रामीण विकास को वरीयता प्रदान करते हुए कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं, ग्राम्य विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण को सम्मिलित करते हुए 35.3 प्रतिशत का परिव्यय रखा गया है ।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश की वार्षिक योजना के कुल परिव्यय में से 21.3 प्रतिशत का परिव्यय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान / ट्राइबल सब-प्लान हेतु रखा गया है ।

राज्य की विकास योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र को वरीयता दी गई है । समग्र रूप में वार्षिक योजना का लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ।

शान्ति व्यवस्था

अपराध पर नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में कई ठोस कदम उठाये गये हैं, जिसमें पुलिस बल का आधुनिकीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ।

पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिये उनकी मूलभूत आवश्यकताओं व कल्याण कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गयी है । इसके लिये सुख-सुविधा निधि की एक

करोड़ पैंतीस लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये, पुलिस कल्याण निधि एक करोड़ रुपये से एक करोड़ पचास लाख रुपये तथा शिक्षा निधि में दो लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर दस लाख रुपये किया गया है ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के राजस्व प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो कुल प्राप्ति का लगभग 50 प्रतिशत है ।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व हेतु 14,539.05 करोड़ रुपये की प्राप्ति के अनुमान लिये गये हैं, जो वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं ।

इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी रणनीति तैयार की गई है जिसमें नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण, बकायों की वसूली, करापवंचन को रोकने के लिये प्रवर्तन एवं विशेष अनुसंधान शाखा का सुदृढ़ीकरण, विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन तंत्र के मध्य प्रभावोत्पादक सहयोग, कम्प्यूटरीकरण एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण मुख्य हैं ।

करेतर राजस्व के अन्तर्गत 1,747.89 करोड़ रुपये के अनुमान लिये गये हैं जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष 1.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं ।

अब मैं माननीय सदस्यों को कुछ मुख्य विभागीय कार्यक्रमों एवं प्रस्तावों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूँगा ।

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध सेवायें

वर्ष 2003-2004 में कृषि उत्पादन में विकास दर 5.1 प्रतिशत प्रति वर्ष बनाये रखते हुए 478 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन तथा 14.60 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन के लक्ष्य रखे गये हैं ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में "फार्म मैनेजमेन्ट काउन्सिल" का गठन, बीज विकास निगम की स्थापना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम (मेरठ) में बासमती फाउन्डेशन की स्थापना, बासमती चावल के निर्यात के लिए एग्री एक्स्पोर्ट जोन की स्थापना, प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु बीज ग्राम योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में संकर धान बीज

उत्पादन योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में "आन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना" जैसी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

कृषि उत्पादकता में सततता लाने हेतु उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त "इन्टीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेन्ट" तथा "इन्टीग्रेटेड प्लान्ट न्यूट्रिएन्ट मैनेजमेन्ट" जैसी विधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कृषि निवेशों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "किसान क्रेडिट कार्ड" जैसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

कृषि विभाग के अन्तर्गत ऊसर सुधार के कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिसमें बीहड़ स्थिरीकरण योजना, सोन एवं गोमती भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं ।

कृषि में आधुनिक तकनीकों को विकसित करने तथा तकनीकों को खेतों तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य में कृषि शिक्षा को और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत डा. भीम राव अम्बेडकर कृषि अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में नये पाठ्यक्रम आरम्भ

किये जाने, अनुरक्षण आदि कार्यों के लिये 6.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्राकृतिक आपदाओं में किसानों की आय स्थिर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है ।

कृषि विपणन को महत्ता देते हुये मण्डी स्थलों के विकास एवं उन्हें सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही मण्डी समितियों द्वारा सम्पादित की जा रही है । 4 जनपदों में किसान मण्डी की नई योजना चलाई गई है एवं 15 मण्डी स्थलों के निर्माण की योजना इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को कृषि निवेशों के लिये कर्ज एवं अंशपूँजी, चारा बैंक की स्थापना जैसी नई योजनायें इस बजट में सम्मिलित की गई हैं ।

कृषकों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के लिए वर्ष 2003-2004 में 1400 करोड़ रुपये का फसली ऋण तथा 800 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्राम्य विकास

नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विश्व के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इस बात पर बल दिया है कि आर्थिक विकास में मानवीयता का गुण भी समाहित होना चाहिये और इसके लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से निर्बल वर्ग का सशक्तिकरण भी होना आवश्यक है । हमारे ग्राम विकास के कार्यक्रमों में इस मानवीयता का परिलक्षण होता है ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के 2.50 लाख व्यक्तियों को इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

केन्द्र सरकार के सहयोग से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 1,535 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 4,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 2 लाख से अधिक आवासों तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 19,920 आवासों का निर्माण कराया जायेगा । प्रत्येक इन्दिरा आवास में शौचालय के निर्माण की भी व्यवस्था की गई है ।

त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 15,000 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा 495 पाइप लाइन योजनायें प्रस्तावित हैं । इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 32,800 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

पंचायती राज

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में प्रदेश के समस्त जनपदों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 22.50 करोड़ रुपये का प्राविधान है । पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 10.98 करोड़ रुपये का प्राविधान भी प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त विशेष घटक योजना के अन्तर्गत नाली खड़ंजा निर्माण हेतु 61.02 करोड़ रुपये का प्राविधान है, जिसमें अम्बेडकर गाँवों व उनके मज़रों में

शौचालयों तथा नाली खड़ंजा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गन्ना उत्पादन का विशेष योगदान है तथा गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति से इसका सीधा सम्बन्ध है ।

हमारी सरकार गन्ना किसानों तथा चीनी उद्योग के हित संरक्षण तथा समृद्धि के लिये कृत संकल्प है । मुझे माननीय सदन को यह अवगत कराते हुये गर्व का अनुभव हो रहा है कि 29 अगस्त, 2003 से अब तक गन्ना किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का 990 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है । इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान स्वयं में एक कीर्तिमान है ।

वर्तमान पेराई सत्र में प्रदेश की चीनी मिलें शीघ्र प्रारम्भ होकर किसानों का अधिक से अधिक गन्ना पेराई कर सकें, इसके लिये गन्ना आपूर्ति की नीति समय से घोषित की गयी है ।

हमारी सरकार की यह नीति होगी कि गन्ने के सह-उत्पादों पर आधारित उद्योग जैसे खोई पर आधारित बिजली, कागज, शीरे पर आधरित इथनॉल तथा प्रेसमड पर आधारित बायो-फर्टिलाईजर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये । इससे जहाँ प्रदेश की चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं प्रदेश के गन्ना किसानों को भी अधिक लाभकारी गन्ना मूल्य शीघ्रता से प्राप्त हो सकेगा ।

सड़क एवं यातायात

प्रदेश के समस्त ग्रामों को क्रमबद्ध ढंग से सर्वऋतु मार्गों से जोड़ना हमारी प्रतिबद्धता है ।

विश्व बैंक की सहायता से लगभग 3,000 करोड़ रुपये लागत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना इस वर्ष प्रारम्भ की गई है ।इस परियोजना के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों की अवधि में लगभग 2,574 किलोमीटर मार्गों के वृहद् रख-रखाव एवं 953 किलोमीटर मार्गों के उच्चीकरण का कार्य तथा चार बाईपास एवं पाँच बड़े पुलों का निर्माण किया जायेगा ।

सड़कों के रख-रखाव के लिये राज्य सड़क निधि में विगत वर्ष के सापेक्ष लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इस बजट में की गई

है । इसके साथ-साथ केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से भी 85 करोड़ रुपये की धनराशि मरम्मत के कार्यों के लिये प्राप्त कर मुख्य सड़कों के रख-रखाव का लक्ष्य है ।

सड़क यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने बस बेड़े में 1,000 नई बसों का क्रय किये जाने का प्रस्ताव है । परिवहन निगम द्वारा बस उपयोगिता को बढ़ा कर 284 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन तथा आकूपेन्सी अनुपात 61 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है ।

सिंचाई

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन तथा 4 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना प्रस्तावित है । इस वित्तीय वर्ष में "हिंडन कृष्णी दोआब की खरीफ नहरों" की परियोजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

जल संचयी योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष 154 चेक डैम के निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है तथा प्रदेश की विभिन्न नदियों एवं

नालों पर सर्वेक्षण कराकर लगभग 475 चेक डैम बनाने की योजना विचाराधीन है ।

"वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग" परियोजना, जिसकी कुल लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपये है तथा इसे चार चरणों में 12-15 वर्षों की अवधि में पूर्ण किया जाना है, के लिए वर्ष 2003-2004 में 222.80 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

वृहद् एवं मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 999 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

ऊर्जा

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति एवं गुणवत्ता में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है । इस सम्बन्ध में जहाँ वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता से अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा, वहीं ओबरा एवं पारीछा ताप संयंत्र की क्षमता वृद्धि भी की जायेगी । इसके अतिरिक्त आनपारा सी परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायेगा ।

भारत सरकार द्वारा संचालित त्वरित विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मुरादाबाद,

बरेली एवं गोरखपुर शहरों में 456 करोड़ रुपये की योजना कार्यान्वित की जायेगी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शहरों में विद्युत सुधार हेतु 300 करोड़ रुपये की योजना कार्यान्वित की जायेगी ।

विद्युत की चोरी रोकने हेतु कठोर कदम उठाये जायेंगे तथा अभियान चला कर विद्युत राजस्व की वसूली भी बढ़ायी जायेगी ।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को बढ़ाया जायेगा ।

वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वांचल / पश्चिमांचल पैकेज के अन्तर्गत 425 सोलर पम्पों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है ।

औद्योगिक विकास

प्रदेश के तीव्रगामी औद्योगिक विकास, पूँजी निवेश के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन, विशिष्ट उद्योगों की स्थापना तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विकास परिषद का गठन किया गया है ।

हमने संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत कतिपय निबंधन और शर्तों के अधीन प्रदेश में स्थापित होने वाली नई मेगा इकाईयों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।

निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु चार विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्रेटर-नोएडा, कानपुर, भदोही एवं मुरादाबाद में स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । इन आर्थिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना सुविधायें विकसित की जायेगी ।

प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2003-2004 में 30,000 लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 45,900 शिक्षित युवकों / युवतियों को संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त कराते हुये स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

नगर विकास एवं नगरीय रोजगार

त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 60 नगरों को मानकों के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य

है । इस मद में 49.36 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

नगरीय पेयजल कार्यक्रमों को जिला योजना में सम्मिलित करते हुये नगरीय पेयजल योजनाओं के लिये 11.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आवास

लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद सहित कुल 23 नगरों की महायोजनायें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा कुल 80 हजार आवासीय भवन / भूखण्ड विकसित किये जायेंगे जिसमें से 65 प्रतिशत भवन / भूखण्ड आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के लिये आरक्षित किये गये हैं ।

सबके लिये आवास उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत आवास विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 25 नगर एवं प्रदेश में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय के 25 अन्य नगर चयनित किये गये हैं ।

प्रदेश में "हाई-टेक" टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु एक नई नीति तैयार की गई है ।

सबके लिये आवास की परिकल्पना साकार करने के लिये बहुमंजिले भवनों का निर्माण सुनियोजित रूप से प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अध्यादेश, 2003 प्रख्यापित किया गया है ।

बेसिक शिक्षा

महान समाजवादी विचारक डा. राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि मुफ्त, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिये नितान्त आवश्यक है ।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये पूरे प्रदेश में डेढ़ किलोमीटर की परिधि तथा 300 की आबादी के मानक के आधार पर एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा ।

परिषदीय विद्यालयों के लगभग 21 हजार सहायक अध्यापकों के पदों को भरा जायेगा ।

माध्यमिक शिक्षा

दिनांक 14 अक्टूबर, 1986 से पूर्व के मान्यता प्राप्त 58 गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रस्ताव है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं साज-सज्जा के लिए इस बजट में 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है । त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत भी इस हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

उच्च शिक्षा

राज्य के महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं साज-सज्जा हेतु 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत भी इस हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु डिग्री सेक्टर में भारत सरकार द्वारा संचालित एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित

तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिये अन्य पाँच राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश को भी चयनित किया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षो में प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं हेतु 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है । इस बजट में इस हेतु 60 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

युवा कल्याण

भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों से हमें प्रेरणा लेनी है जिन्होंने कहा है कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित राष्ट्र होना है । हमारा यह संकल्प है कि इस राष्ट्रीय प्रयास में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहे, जिसमें युवक समाज की विशेष भागीदारी रहेगी ।

राज्य सरकार द्वारा युवाओं के शारीरिक सम्वर्धन, बौद्धिक विकास तथा सांस्कृतिक चेतना तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । गाँवों में छिपी हुयी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिये भी हम कृत्-संकल्प है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा सुदृढ़ करने के लिये 30 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है ।

इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नयी औषधि नीति लागू कर दी गयी है, जिससे अवैधानिक औषधि निर्माताओं पर प्रभावी रूप से प्रतिबन्ध लगेगा ।

चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की नई योजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

समाज कल्याण

हमारी सरकार समाज की विषमताओं को दूर कर समतापरक समाज के विकास के लिये कृत् संकल्प है । इस दिशा में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का उत्थान सर्वोच्च प्राथमिकता है ।

अनुसूचित जाति के गरीब छात्र प्रवेश से वंचित न रह जायं, इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि प्रदेश की तकनीकी शिक्षा संस्थायें

छात्रों से सीधे प्रवेश शुल्क न लेकर समाज कल्याण विभाग से प्रवेश शुल्क प्राप्त करेंगी ।

छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 92 लाख विद्यार्थियों को 428 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जायेगा । इस हेतु 125 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 22,000 परिवारों को सहायता दिये जाने के लिए 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में की गई है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की कई योजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिनके अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवकों को मार्जिन मनी, सावधिक ऋण तथा विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है ।

भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से 5 लाख रुपये तक के सावधिक ऋण की योजना को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों को बेहतर स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों में ड्राप आउट की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्‌देश्य से 114.73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । राज्य सरकार द्वारा अब तक 290 मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जा चुका है । मुस्लिम वर्ग के बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं, मदरसों / मकतबों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा हिन्दी आदि विषयों से परिचित करने के उद्‌देश्य से आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 683 संस्थाओं को आच्छादित किया गया है ।

गैर सरकारी संगठनों एवं शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के 2,000

प्रशिक्षणार्थियों को कोचिंग दिलाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

लखनऊ में हज यात्रियों की सुविधा हेतु हज़ हाऊस निर्मित करने हेतु उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करके हज़ हाऊस का निर्माण शीघ्र कराया जायेगा ।

महिला एवं बाल विकास

बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर का कथन है कि किसी समाज की प्रगति को नारी की प्रगति से आँका जाना चाहिये । प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वयंसिद्धा परियोजना प्रदेश के 94 पिछड़े विकास खण्डों में संचालित की जा रही है । इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आयेगा ।

मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन समाज के उपेक्षित लोगों की सेवा को समर्पित किया । मदर का मानना था कि उपेक्षित रहना सबसे विषम दरिद्रता है । हमारा प्रयास ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करना है, जिसमें कोई भी वर्ग उपेक्षित न रहे ।

संकटग्रस्त एवं निराश्रित महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्रदान किये जाने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से स्वाधार नामक योजना प्रारम्भ की गयी है । प्रथम चरण में मथुरा-वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिये आश्रय सदन का निर्माण कराया जायेगा ।

निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने की योजना के अन्तर्गत 81.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिससे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली लगभग 5.37 लाख गरीब एवं निराश्रित महिलायें लाभान्वित होंगी ।

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की 11 से 15 तथा 15 से 18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, परिवार कल्याण एवं पोषाहार के बारे में जानकारी देने के लिये प्रदेश में किशोरी शक्ति योजना भी कार्यान्वित है ।

इस योजना हेतु लगभग 4.65 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तावित है । प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 15 अगस्त, 1997 या उसके बाद जन्मी बालिका शिशु की माँ को 500 रुपये की तत्काल सहायता दी जा

रही है । इस हेतु 3 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान है ।

प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है जिसमें प्रदेश के मिर्जापुर तथा सोनभद्र में कुपोषित गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रति माह निःशुल्क 6 किलोग्राम गेहूँ आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना तृतीय चरण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ हो चुका है । इसके अन्तर्गत 110 नई बाल विकास परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाना है एवं 190 पुरानी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

वन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत होना चाहिए । हमारे प्रदेश का वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 8.8 प्रतिशत है, इसमें 5.7 प्रतिशत आरक्षित वन क्षेत्रों में है तथा शेष वन क्षेत्र से बाहर है ।

अतः हम प्रदेश में वन एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकास के लिये कृत्संकल्प हैं । वानिकी कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त वन प्रबन्धन नियमावली, 2002 संचालित है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में वन विकास अभिकरण का गठन भी किया गया है ।

राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीवन विहारों की सीमा पर स्थित ग्रामवासियों को वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रेरित करने तथा ग्रामीणों को वैकल्पिक आय के स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से "इको डेवलपमेन्ट" कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

पर्यावरण

स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा पर्यावरण से सम्बन्धित क्रियाकलापों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीनकोर योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित की जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में आदिवासी बाहुल्य गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से 50 किलोमीटर लम्बी सड़क का

निर्माण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है । इससे स्थानीय आदिवासियों को रोजगार की सुविधा भी प्राप्त होगी ।

न्याय

प्रदेश में न्याय व्यवस्था को कम खर्चीली बनाने, जनसाधारण को समय से न्याय दिलाने तथा न्याय प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के लिये विशेष कदम उठाये जायेंगे । वादों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन स्थायी एवं अस्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था की गयी है ।

विभिन्न जनपदों में न्यायालय भवनों के निर्माण के लिये 15 करोड़ रुपये तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों सम्बन्धी शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिये आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

न्यायिक अधिकारियों के कल्याणार्थ न्यायिक अधिकारी कल्याण निधि में 31 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी ।

अधिवक्ता कल्याण निधि में भी 1.50 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान दिया जायेगा ।

खाद्य एवं रसद

खरीफ वर्ष 2003-2004 हेतु 6.5 लाख मी.टन धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य घोषित किया गया है । सामान्य धान का मूल्य 550 रुपये प्रति कुन्टल और ग्रेड-ए का मूल्य 580 रुपये प्रति कुन्टल घोषित किया गया है ।

प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत निराश्रित वृद्ध जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है तथा उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वृद्धावस्था पेंशन पाने के हकदार हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है, को निःशुल्क 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है ।

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2003-2004 में 65145.67 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में 33373.04 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 31772.63 करोड़ रुपये की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।
- वर्ष 2003-2004 की राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 16.5 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2003-2004 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 28494.18 करोड़ रुपये है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 12207.24 करोड़ रुपये सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2003-2004 में कुल व्यय 71223.24 करोड़ रुपये अनुमानित है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 26.5 प्रतिशत अधिक है ।
- कुल व्यय में 40758.83 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 30464.41 करोड़ रुपये पूँजी लेखे का व्यय है ।

- वर्ष 2003-2004 में राजस्व लेखे का व्यय गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से मात्र 11 प्रतिशत अधिक है ।
- वर्ष 2003-2004 में पूँजीगत व्यय 30464.41 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 55.6 प्रतिशत अधिक है । मुख्यतः यह वृद्धि विद्युत निगमों में समायोजन द्वारा निवेश हेतु 5906.83 करोड़ रुपये के प्राविधान के फलस्वरूप है ।
- पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2002-2003 में आयोजनागत व्यय 10063.30 करोड़ रुपये सम्भावित है । इसके विपरीत वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक अनुमान में 10997.67 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2003-2004 में घाटा 6077.57 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर यह घाटा 5168.26 करोड़ रुपये था ।

- वर्ष 2003-2004 में राजस्व लेखे का व्यय गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से मात्र 11 प्रतिशत अधिक है ।
- वर्ष 2003-2004 में पूँजीगत व्यय 30464.41 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 55.6 प्रतिशत अधिक है । मुख्यतः यह वृद्धि विद्युत निगमों में समायोजन द्वारा निवेश हेतु 5906.83 करोड़ रुपये के प्राविधान के फलस्वरूप है ।
- पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2002-2003 में आयोजनागत व्यय 10063.30 करोड़ रुपये सम्भावित है । इसके विपरीत वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक अनुमान में 10997.67 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2003-2004 में घाटा 6077.57 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर यह घाटा 5168.26 करोड़ रुपये था ।

इस प्रकार समेकित निधि के घाटे में 909.31 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है ।

लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 2003-2004 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 4649.39 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे जबकि वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार लोक-लेखा से 4753.11 करोड़ रुपये समायोजित किये गये ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2003-2004 में आरम्भिक शेष को लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 1020.87 करोड़ रुपये होना अनुमानित है । इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

मान्यवर,

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि किसी भी कार्य करने से पूर्व निर्धनतम और दुर्बलतम व्यक्ति का चेहरा स्मरण करें और अपने आप से पूछें कि जो कार्य करने जा रहे

हैं क्या वह उस कमज़ोर व्यक्ति के लिए हितकर होगा । यह बजट इस मंत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । मुझे विश्वास है कि यह बजट समाज के निर्धनतम एवं दुर्बलतम वर्गों के उत्थान के लक्ष्य की ओर एक सार्थक एवं दृढ़ कदम है ।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त, श्रीमती रीता शर्मा और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों

के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2003-2004 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

कार्तिक, 23 शक-सम्वत् 1925,
तदनुसार,
दिनांक 14 नवम्बर, 2003